मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए 3-2-2010-1-पांच (47).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की कालावधि के लिए उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

माल का वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निबन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की गयी है (3)
1. लोहा तथा इस्पात	अंशत: इस प्रकार की प्रवेश कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	1. जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग हेतु किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए. 2. जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय हेतु प्रवेश कराया जाता है और ऐसा माल, ऐसे अन्य व्यापारी को, संलग्न प्ररूप में इस आशय की घोषणा पर विक्रय किया जाए कि माल का क्रय मध्यप्रदेश राज्य के भीतर निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग हेतु आशयित है.
2. भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर से आयातित काष्ठ.	सम्पूर्ण प्रवेश कर	जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर माल के निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए.

(1)		(2)	(3)
3.	धातु	सम्पूर्ण प्रवेश कर	जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर सिक्के के निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए.
4.	चमड़ा	सम्पूर्ण प्रवेश कर	जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए.

प्ररूप

घोषणा

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ...... के अधीन)

मैं, ... (क्रेता का नाम तथा पता) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) .... धारक, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैंने लोहा तथा इस्पात जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का क्रय .... (विक्रेता का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) .... धारक से किया है.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि,—

(एक) *क्रय किया गया माल, मेरे द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर निर्माण में उपभोग या उपयोग के लिए है;

(दो) उक्त माल, मेरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के कच्चे माल के रूप में विनिर्दिष्ट माल है और उक्त प्रमाण-पत्र उपरोक्त माल के क्रय की तारीख को प्रभावशील था;

क्रय किए गए माल का विवरण

*क्रय बिल/इनवाइस/केशमेमों/ चालान का विवरण क्र. ...... तारीख	माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
		योग . .	

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... मात्र.

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : प्रास्थिति

* जो लागू न हो उसे काट दें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए-3-2-2010-1-पांच (47).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-2-2010-1-पांच (47), दिनांक 1 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2010

No. F. A-3-2-2010-1-V(47).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby exempts the class of goods specified in column (1) of the Table below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (2), for the period from 1st April, 2010 to 31st March 2011 subject the restrictions and conditions specified in column (3) of the said table:—

TABLE

Class of Goods (1)	Extent of exemption (2)	Restriction and conditions subject to which exemption is granted (3)
1. Iron and Steel	Partly so as to reduce the rate of entry tax 1 percent.	1. When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer, for use or consumption as raw material in manufacture inside the State of Madhya Pradesh. 2. When the goods specified in column (1) are entered by a registered dealer into a local area for sale and such goods are accordingly sold to another such dealer against a declaration in the appended form to the effect that the goods purchased are for use or consumption as raw material in manufacture inside the State of Madhya Pradesh.
2. Timber imported from out of the territory of India.	Whole of Entry Tax	When the goods specified in column (1) are entered by a registered dealer into a local area for use or consumption in manufacture of goods inside the State of Madhya Pradesh.
3. Metal	Whole of Entry Tax	When the goods specified in column (1) are entered by a registered dealer into a local area for use or consumption in manufacture of coins inside the State of Madhya Pradesh.
4. Leather	Whole of Entry Tax	When the goods specified in column (1) are entered by a registered dealer into a local area for use or consumption in manufacture inside the State of Madhya Pradesh.

FORM

Declaration

(Under CTD Notification No. . . . . dated . . . .)

I, ... (Name and address of the purchaser) holding registration certificate No. (TIN) . . . . under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, hereby declare that I have purchased Iron and Steel particulars of which are given below from . . . . (Name and address of the seller) holding registration certificate No. (TIN) . . . . under the said Act.

2. I further declare that,—

(i) *the goods purchased are for consumption or use by me in manufacture inside the State of Madhya Pradesh;

(ii) the goods are specified as raw material in my registration Certificate and the said certificate was in force on the date of purchase of the aforesaid goods;

Particulars of goods purchased

* Particulars of purchase order/ bill/invoice/cash memo/challan No. . . . . . Dt. . . . . (1)	Description of goods (2)	Quantity (3)	Value (in rupees) (4)
		Total . .	

Total value (in figure) Rs. . . . . (inwords) Rs. . . . . only.

Place :
Date :

Signature
Status

* Strike out which is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.